

नगर पालिका, बांदीकुई

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)



अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/BANDIKUI/FIRENOC/2025-26/55582
जारी दिनांक: 14-JUL-2025 वैधता दिनांक: 13-JUL-2027

प्रेषित-


आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: DHARMESH MAAL
आवेदक का पता: MOTI NAAGR GUDHA ROAD BANDIKUI

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन EUPHORIA TWENTY FIRST CENTURY SCHOOL, 1, BHADEDA, NEAR GANESH TEMPLE ABHANERI ROAD BANDIKUI, DAUSA, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह अस्थाई (Temporary) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

1. किसी भी प्रकार की आतिषबाजी उक्त स्थल के अन्दर न की जायें।
2. किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं के लिए स्वयं संस्थापक जिम्मेदार होगा ना की बांदीकुई नगर पालिका प्रशासन।
3. प्रत्येक 6 माह में फायर एक्सपर्ट मोक ड्रिल करवाना अनिवार्य है जिसकी सूचना नगर पालिका बांदीकुई को उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य है एवं मोक ड्रिल के नगर पालिका के अधिकारी का खर्चा आपके द्वारा वहन किया जावेगा।
4. फायर एनओसी की अवधि समाप्त होने से 15 दिवस पूर्व नवीनीकरण के लिये आवेदन करना होगा अन्यथा 10000 रुपये पैनल्टी के तौर पर देय होंगे।
5. समय-समय पर नेशनल बिल्डिंग कोड में होने वाले संशोधनों की पालना भी करनी होगी।
6. किसी भी प्रकार की लूज विद्युत फिटिंग नहीं होनी चाहिए। आपके स्थाई कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्रों को चलाने का प्रशिक्षण आपके स्वयं के स्तर पर ही दिया जावेगा।
7. यह प्रमाण पत्र जारी दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगा।
8. किसी भी प्रकार का नगर पालिका कर बकाया होने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वत ही निरस्त माना जावेगा।


EUPHORIA TWENTY FIRST CENTURY SCHOOL

PRINCIPAL

Signed by: Naman Sharma
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: BANDIKUI, Rajasthan
Date: 14/07/2025 17:48:38



अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, बांदीकुई